कार्यालय– प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक– मे0का0दे0 / विज्ञप्ति / संविदा / फैकल्टी / 2024–25 / दिनांक– 28/10/24

विज्ञप्ति–4

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निम्नलिखित विभागों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र एद्त द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदो पर वाक–इन इंटरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों के साथ अपने समस्त शैक्षणिक / जाति / अनुभव प्रमाण पत्रों / शोध पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो–दो सेट, बायोडाटा व चार रंगीन फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जब तक रिक्त पदो की पूर्ति नही हो जाती है तब तक प्रत्येक बुधवार को प्रधानाचार्य कार्यालय महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में प्रातः 10 बजे से 2 बजे के मध्य साक्षात्कार प्रस्तावित है। पदो का विवरण निम्नवत है–

क्र0स0	विशिष्टता	आचार्य				सह–आचार्य				सहायक आचार्य					योग
		GEN	EWS	OBC	SC	GEN	EWS	OBC	SC	GEN	EWS	OBC	SC	ST	
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
2	आप्थलमोलॉजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	आब्ट्रेक्सि एण्ड गाइनकोलॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
5	एनॉटमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	6
7	आटो–राइनो–लेरिंगोलॉजी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8	कॅम्युनिटी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
9	जनरल मेडिसिन	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	6
10	जनरल सर्जरी	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
11	टयुबरकुलेसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	डर्मेटोलॉजी वेरेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
13	डेन्टिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	पीडियाट्रिक्स	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
15	पैथालॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17	फिजियोलॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
18	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
19	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
20	बायोकेमेस्ट्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
21	रेडियोडग्नोसिस	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
22	साइकियाट्री	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	योग	**3**	**1**	**6**	**4**	**5**	**3**	**8**	**6**	**1**	**1**	**3**	**7**	**1**	**49**

उक्त पदो पर नियमानुसार आरक्षण लागू है, संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है:-

01. रिक्त पद हेतु अर्हता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा जारी गजट संख्या-सीवजी0-डी0एल0-अ-23022022-233681 दिनांक 14 फरवरी 2022 के अनुसार होगी। आवेदक को नेशनल मेडिकल कमीशन के समय-समय पर किये गये संशोधनो के अर्न्तगत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना होगा।
02. शासनदेश सख्या-104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य का नियत वेतन रु0 2,20,000/-, सह आचार्य का नियत वेतन रु0-1,60,000/-, सहायक आचार्य का नियत वेतन रु0-120000/- प्रतिमाह देय होगा। इस सम्बन्ध मे निर्धारित शर्ते शासन द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
03. विशिष्टताओ मे सृजित आचार्य एव सह-आचार्य के रिक्त पदो के चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध नही होने पर उक्त रिक्त पदो के सापेक्ष सहायक आचार्य के रूप मे भरे जायेगे।
04. आयु सीमा के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के निर्गत शासनादेश संख्या-562/71-1-2020-जी0-63/2008 लखनऊ दिनांक 10 जून 2020 के द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होगी। संविदा पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा शिक्षको की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के माह जुलाई 2024 के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
05. शासनादेश संख्या-6/2019/4/1/2022/का-2/टी0सी0-1 दिनांक 23.10.2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम मे दर्शाये गये ई0डब्लू0एस0 के पदो का आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लू0एस0) वर्ग का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति मे उक्त पदो को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
06. वेतन के सम्बन्ध मे समय-समय पर जारी शासनदेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बंधित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
07. चिकित्सा शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा निहित अनुसार होगी।
08. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
09. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओ के लिए ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
10. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात सीधी भर्ती चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अधार पर सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
13. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होगा।
14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकुल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
15. उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत तत्कालीन संविदा चिकित्सा शिक्षा नियमावली सशर्त लागू होगा।
16. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओ का रोस्टर/शासनादेश सं0-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1 दिनांक-13.08.2019 का अनुपालन मान्य होगा।

नोट- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय,देवरिया।

पत्रांक- मे0का0दे0/विज्ञप्ति/संविदा/फैकल्टी/2024-25/1429
तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन,लखनऊ।
03. मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
04. जिलाधिकारी ,देवरिया।
05. विज्ञापन प्रबंधक, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाईम्स देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली संस्करण में पठनीय न्यूनतम माप विज्ञापित करने के पश्चात् जिला सूचना अधिकारी देवरिया द्वारा बिल सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करें।
06. वेबसाइट इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया की वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
07. समस्त नोटिस बोर्ड, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय,देवरिया।